रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092021-229344 CG-DL-E-01092021-229344

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3258]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2021/भाद्र 10, 1943
No. 3258]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2021/BHADRA 10, 1943

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

का.आ. 3561(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245-णख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 सितम्बर, 2021 को या उसके पश्चात उक्त अधिनियम के अध्याय XIX-ख के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजनार्थ नीचे सूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णयन बोर्ड जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित स्थान पर है, का गठन करती है।

अनुसूची

क्र सं.	अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1.	अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड-l	दिल्ली
2.	अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड-II	दिल्ली
3.	अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड-III	मुंबई

[अधिसूचना सं. 96/2021/फा.सं. 370142/31/2021-टीपीएल (भाग ॥)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

4854 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

S.O. 3561(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 245-OB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby constitutes the Boards for Advance Rulings specified in column (2) of the Schedule below, having its headquarters at the place mentioned in column (3) of the said Schedule, for the purposes of giving advance rulings under Chapter XIX-B of the said Act on or after the 1st day of September, 2021.

SCHEDULE

Sl. No.	Board for Advance Rulings	Headquarters
(1)	(2)	(3)
1.	Board for Advance Rulings-I	Delhi
2.	Board for Advance Rulings-II	Delhi
3.	Board for Advance Rulings-III	Mumbai

[Notification No. 96/2021/F.No. 370142/31/2021-TPL (Part II)]

SHEFALI SINGH, Under Secy.